

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: - 24365161; फैक्स - 24360644

सार्वजनिक सूचना

आरईसी दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड सीरीज - वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान जारी

आरईसी ने वित्त वर्ष 2010-11 में धारा 80सीसीएफ के तहत लाभों के साथ दीर्घावधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड जारी किए हैं, जिनमें 5 वर्षों के बाद बाय बैंक/नॉन बाय बैंक का विकल्प है। कुछ बॉण्डधारकों, जिन्होंने बाय बैंक की सुविधा का विकल्प दिया है, उन्हें आबंटन की मानी गई तारीख से 5/6/7/8/9 वर्षों के बाद बाय बैंक का विकल्प देने के लिए आवेदन फार्म में सहमति नहीं दी थी। तदनुसार, आरईसी का ऐसे सभी बॉण्डधारकों से अनुरोध है कि वे 31 जनवरी, 2016 तक उस वर्ष के बारे में सूचित करें, जिसके बाद बाय बैंक सुविधा का विकल्प देना चाहते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक बॉण्डधारकों से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आरईसी द्वारा बांडों के आबंटन की तारीख से 9 वर्षों के बाद अर्थात् 31.03.2020 को बांडों का मोचन (भुगतान) किया जाएगा। बाय बैंक की अवधि में परिवर्तन अथवा बाय बैंक का वर्ष विनिर्दिष्ट करने के लिए विकल्प देने के लिए बॉण्डधारकों को आरईसी को मूल बॉण्ड प्रमाण-पत्र, यदि वास्तविक रूप में रखे गए हैं तो प्रस्तुत करने होंगे। तथापि, नियत तारीख को बिना बॉण्ड प्रमाण-पत्र प्रदान किए ही मोचन (भुगतान) किया जाएगा।